

पत्रसं०-स्था०-6सा०क०//स्क्री०सूचना/2019-20/

अति महत्वपूर्ण /शासन संदर्भ /समयबद्ध ।

5571 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ //दिनांक // 17// फरवरी, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(अयोध्या व गाजियाबाद जोन प्रथम को छोड़कर)

कृपया मुख्यालय के पत्र सं० 5453 दिनांक 10-02-2020 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से अब तक सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों के अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध पारित वृहद दण्डादेशों तथा पदच्युत किये गये कर्मिकों की संख्यावार सूचना निम्नांकित प्रारूप में शासन को प्रेषित किये जाने की दिनांक 12-02-2020 तक अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचना आज तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाँछित सूचना निर्धारित प्रारूप में जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर कार्यालय में संकलित कराकर दिनांक 20-02-2020 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित सूचना से शासन को अवगत कराया जा सके।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं० व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि:-

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

डिप्टी कमिश्नर (स्था०अराज०) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।